

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 120]	दिल्ली, सोमवार, जून 24, 2019/आषाढ़ 3, 1941	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 78
No. 120]	DELHI, MONDAY, JUNE 24, 2019/ASHADHA 3, 1941	[N.C.T.D. No. 78

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 21 जून, 2019

फा. सं. **144/डब्ल्यू.एफ.डी./सी.ओ.टी./18-19/4690-98.**—दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 29 (1994 का दिल्ली अधिनियम 11) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, राव तुला राम मेमोरियल, सरकारी अस्पताल, जाफरपुर, दिल्ली में मौजूदा हॉस्पिटल ब्लॉकों के निर्माण हेतु नीचे दिए गए विवरण के अनुसार 1.35 हेक्टेयर लगभग क्षेत्रफल से उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के उपबंधों से छूट प्रदान करती है।

स्थान	वृक्षों की संख्या		अपेक्षित प्रतिपूरक वृक्षारोपण (वृक्षों की संख्या)
	प्रत्यारोपण	योग	
राव तुला राम मेमोरियल, सरकारी अस्पताल, जाफरपुर, दिल्ली में मौजूदा हॉस्पिटल ब्लॉकों के निर्माण 1.35 हेक्टेयर में।	23	23	230 (उपभोगी संस्था द्वारा)
योग	23	23	230

यह छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन है।

1. आवेदक लोक निर्माण विभाग को सात वर्ष की अवधि के लिए पौधों के संपूर्ण विकास एवं रखरखाव हेतु निम्नानुसार 13,11,000 /—रुपये (तेरह लाख ग्यारह हजार रुपये मात्र) की राशि अग्रिम रूप में जमा करवानी होगी।

क्र.सं.	प्रतिपूरक वनीकरण वृक्षारोपण का स्थान	लगाए जाने वाले पौधों की संख्या	अन्य प्रशासनिक व्ययों तथा आकस्मिक व्यय सहित कुल राशि	वन प्रभाग में जमा कराई जाए
1.	100% प्रतिपूरक वृक्षारोपण उपभोगी संस्था द्वारा राव तुला राम मेमोरियल सरकारी अस्पताल, जाफरपुर, दिल्ली में उपलब्ध रिक्त क्षेत्र पर किया जाएगा।	230	13,11,000 /—	उप-वन संरक्षक (पश्चिमी)/वन अधिकारी
2.	23 वृक्षों का प्रत्यारोपण उपयुक्त स्थान पर उपभोगी संस्था द्वारा स्वयं की लागत पर किया जाएगा। प्रत्यारोपण उपरान्त इन प्रत्यारोपित वृक्षों के रखरखाव की जिम्मेदारी भी उपभोगी संस्था की होगी।			

2. देशी प्रजातियों के 230 पौधों का 100% प्रतिपूरक वृक्षारोपण लोक निर्माण विभाग राव तुला राम मेमोरियल सरकारी अस्पताल, जाफरपुर, दिल्ली में उपलब्ध रिक्त क्षेत्र पर किया जायेगा और उनका सात वर्षों तक रखरखाव तथा सफलतापूर्वक स्थापना के बाद निगरानी की जाएगी।
3. 1:10 स्वदेशी प्रजातियों के 6-8 फीट की ऊँचाई वाले पौधे 23 वृक्षों को हटाये/प्रत्यारोपण किए जाने के बदले में प्रतिपूरक वृक्षारोपण गैर-वन भूमि पर किया जाएगा। वृक्षारोपण की अनुमति के जारी होने के तीन महीने के अंदर निर्धारित की गई भूमि पर अतिरिक्त उपायों के साथ वृक्षारोपण साइट विशिष्ट वृक्षारोपण तकनीकों के बाद किया जाएगा और उसका रखरखाव उपभोगी संस्था द्वारा अपने स्वयं की लागत पर किया जाएगा।
4. उपभोगी संस्था लोक निर्माण विभाग अपने स्वयं के निधियों का उपयोग करके निर्धारित की गई भूमि पर बेहतर मिट्टी की नमी संरक्षण की गतिविधियों को लागू करेगी।
5. उपभोगी संस्था यह सुनिश्चित करेगी कि इस प्रस्ताव की योजना को परिवर्तित नहीं किया जाएगा।
6. (अ) अनुमति जारी होने के तुरंत बाद पेड़ों का प्रत्यारोपण शुरू किया जाना चाहिए और इसे 3 महीने के अंतराल में पूरा किया जाना चाहिए, जिसके बाद एक पूर्ण रिपोर्ट वृक्ष अधिकारी को प्रस्तुत की जानी चाहिए। स्थानांतरित किए जाने वाले वृक्षों की दूरी 4 मीटर (बिंदु से बिंदु) से कम नहीं होनी चाहिए।
(ब) वृक्षों के प्रत्यारोपण हेतु एक प्रस्तावित नीति दिल्ली सरकार में विचाराधीन है, इसलिए भविष्य की अनुमति में नीति के कार्यान्वयन के कारण प्रभावी होने वाले किसी भी बदलाव को संभावित प्रभाव के साथ सक्षम प्राधिकरण की मंजूरी के साथ उस सीमा तक संशोधित किया जाएगा।
7. दिल्ली वृक्ष (संरक्षण) अधिनियम, 1994 में प्रावधानों के अनुसार प्रतिपूरक वृक्षारोपण के बारे में कार्य पूर्ण अभिलेख लोक निर्माण विभाग उपभोगी संस्था को प्रस्तुत करने होंगे।
8. वृक्षों की प्रत्यारोपण की अनुमति उनके स्वयं के जोखिम/ जिम्मेदारी पर दी जाएगी और किसी भी अन्य व्यक्ति के दावे के पक्षपात के बिना, जो वृक्षों की भूमि पर सही हो सकती है।
9. 23 वृक्षों को हटाए/ प्रत्यारोपण किए जाने के उपरान्त प्राप्त लकड़ी की नीलामी भूमि स्वामित्व संस्था द्वारा की जाएगी और उससे प्राप्त धनराशि को सरकार को राजस्व के रूप में जमा कर दी जाएगी।
10. वृक्षों को हटाने/ प्रत्यारोपण किए जाने से पहले सभी वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन उपभोगी संस्था द्वारा किया जाएगा।
11. वृक्ष काटे/प्रत्यारोपण किए जाने के स्थल से लकड़ी ले जाने से पूर्व उक्त लकड़ियों की ढुलाई के लिए वृक्ष अधिकारी (पश्चिमी) से ढुलाई अनुमति प्राप्त करनी होगी।
12. वृक्षों की ऊपरी शाखाएं (लोप्स एंड टॉप्स) की लकड़ी को काटे जाने के पश्चात प्राप्त लकड़ी मुफ्त में दिल्ली नगर निगम के संबंधित कर्मचारियों को सार्वजनिक भावदाहों में प्रयोग हेतु सौंपी जाए और प्राप्त रसीद को उप-वन संरक्षक (पश्चिमी) को जमा की जाये।
13. वृक्षों के प्रत्यारोपण और प्रतिपूरक वृक्षारोपण की प्रगति निरीक्षण अधिकारी के माध्यम से उप-वन संरक्षक (पश्चिमी) को वृक्षों के पूर्ण विवरण के साथ संबंधित गतिविधि उपरान्त जमा की जाएगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

संजीव खिरवार, प्रधान सचिव (पर्यावरण एवं वन)

DEPARTMENT OF ENVIRONMENT, FORESTS AND WILDLIFE**NOTIFICATION**

Delhi, the 21st June, 2019

F.No.144/WFD/COT/18-19/ 4690-98 - In exercise of the powers conferred by section 29 of the Delhi Preservation of Trees Act, 1994 (Delhi Act 11 of 1994), the Government of National Capital Territory of Delhi, hereby, in public interest exempts an area of total 1.35 hectare approx as detailed below for construction of existing Hospital Blocks in Rao Tula Ram Memorial, Govt. Hospital at Jaffarpur, Delhi from the provision of sub-section (3) of section 9 of the said Act.

Location	No of trees to be		Compensatory plantation required. (Number of trees)
	Transplantation	Total	
Construction of existing Hospital Blocks in Rao Tula Ram Memorial, Govt. Hospital at Jaffarpur, Delhi in 1.35 hectare.	23	23	230 by User Agency.
Total	23	23	230

The said exemption is subject to fulfillment of the following conditions:-

1. The applicant Public Works Department shall make an advance deposit of an amount of Rs. 13,11,000 /- (Rupees Thirteen Lakh and Eleven Thousand Only) towards security deposit for creation and maintenance of compensatory plantation for a period of Seven years as follows,

Sl.No.	Location of Compensatory plantation/ transplantation.	Number of saplings to be planted (Number of trees).	Total Amount including other Administrative expenses and contingency charges (in Rs.).	To be Deposited with Forest Division.
1.	100% Compensatory Plantation will be carried out by User Agency at Vacant Area available in Rao Tula Ram Memorial Hospital, Jaffarpur, Delhi.	230	13,11,000 /-	Deputy Conservator of Forests (West)/ Tree Officer
2.	Transplantation of 23 trees which are standing on site shall be done at appropriate site. Post transplantation care of the trees will be ensured by the project proponent.			

2. 100% Compensatory Plantation of 230 saplings of native species will be raised and maintained by Public Works Department for Seven years and monitored till its successful establishment at Vacant Area available in Rao Tula Ram Memorial Hospital, Jaffarpur, Delhi..
3. 1:10 plants of indigenous species 6-8 feet height will be planted as compensatory plantation on non-forest land in lieu of removal/ transplantation of 23 no. of trees. The plantation will be done following site specific plantation techniques with additional measures on identified land within three months of issue of tree removal/ transplantation permission and maintenance would be carried out there after by User agency with their own funds.
4. The User agency shall implement the improved soil moisture conservation activities on identified land using their own funds.
5. The User agency shall ensure that the plan of this proposal shall not be changed.
6. (i) Transplantation of trees must be initiated immediately after permission is issued and should be completed not later than 3 months, after which a completion report has to be submitted to the Tree Officer. The spacing of the translocated trees should not be less than 4 metres (point to point).

- (ii). A draft policy on transplantation of trees is under active consideration with State Government of Delhi, therefore any change brought in to effect due to implementation of the policy in future permission would be modified to that extent with the approval of Competent Authority with prospective effect.
7. Completion of documentation regarding compensatory plantation as per provisions in DPTA, 1994 would be done by user agency.
 8. The permission for transplantation of the trees would be granted at their own risk and without prejudice to the claim (S) of any other person/s who may be having right (s) over the land of the trees.
 9. All statutory provisions shall be complied by User agency before the transplantation of trees from the site is commenced.
 10. The timber obtained from felling/ transplanting of 23 trees shall be auctioned by the land owning agency and the proceeds shall be deposited as revenue to the Government.
 11. Before shifting of timber if any, from site of removal/ transplantation of trees, transportation permission for transportation of the said wood shall be obtained from DCF/ Tree Officer (West).
 12. The lops and tops obtained on removal of trees shall be handed over by the Public Works Department to the officials concerned of Municipal Corporation of Delhi for its use on public crematoria in Delhi free of cost and receipt so obtained may be deposited with DCF (West).
 13. The progress of transplantation of trees & compensatory plantation shall be submitted through Inspection Officer to DCF (West) after completion alongwith complete details of trees immediately.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
SANJEEV KHIRWAR, Principal Secy. (Env. & Forests)